176

U.D.C

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(WORKS DIVISION)

New Delhi, the 16th May, 2018

G.S.R. 159.—In pursuance of the approval of the Appointment Committee of the Cabinet vide DoP&T's communication No. 26/03/2018-EO (SM.II) dated 09.05.2018, sanction of the President is accorded for temporary upgradation of one post of Special Director General in HAG+pay scale (Level 16 of the Pay Matrix in terms of 7th CPC) in the Civil stream, to the grade of Director General (Planning) in Apex scale (Level 17 of the Pay Matrix in terms of 7th CPC) in Central Public Works Department (CPWD), for a period of two years with effect from the date of issuance of the notification or until further orders, whichever is earlier.

[No. 28021/2/2018-EW- I]

SUPRIYO MUKHERJEE, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 2018

सा.का.नि. 160.—भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के अंग्रेज़ी मूलपाठ की पृष्ठ सं. 1968 के 9वें लाइन में "2016" को "2017" पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए-12018/21/2015-इपीआई]

बी.एल. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st May, 2018

G.S.R. 160.—In the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number G. S. R. 445, dated the 11th December, 2017, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 16th December, 2017, in the English Version,- at page 1968, in line 9, for "2016", read "2017".

[F. No. A-12018/21/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1997 को जहां तक उनका संबंध भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभागों में चिकित्सा अधिकारी (यूनानी), ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी

"Level in pay matrix
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.";

(b) in column (11), for the words and figures "Pay Band -2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200" the words, figures and brackets "Level –6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) in column 11, the "Note 3" shall be omitted.

(d) in column (12), at serial number 2, for the words "Chief Research Officer" the words Scientist "D" shall be substituted.

[F.No. A-12018/37/2017-E-II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 325, dated the 11th November, 2011 in the Gazette of India, Part-II, Section3, Sub-section (i) dated the 26th November, 2011.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 445.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (वर्ग -3 और वर्ग -4 पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, उच्च श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उच्च श्रेणी लिपिक	16* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा , समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 4 (रू 25500-81100)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** (i) 80 प्रतिशत संस्थान के ऐसे अवर श्रेणी लिपकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है । (ii) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से संस्थान के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

3 179

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 4. कमान अधिकारी, सैनिक अस्पताल, कसौली या उसका प्रतिनिधि - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं.ए-12018/21/2015-ईपीआई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th December, 2017

G.S.R. 445.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.** - The number of said post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk.	16 * (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 4 (25500-81100)	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) 80 % from Lower Division Clerks of the Institute with eight years' regular service in the grade; and (ii) 20 % from Lower Division Clerks of the Institute with five years' regular service in the grade through Limited Departmental Competitive Examination. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli - Chairman; (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member; (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member; (4) Commanding Officer, Military Hospital, Kasauli, or his representative - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/21/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.